न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./19/2017/बाड़मेर

अपीलांट

1. पुरखसिंह पुत्र रामसिंह उम्र 32 वर्ष
2. करनसिंह पुत्र रामसिंह उम्र 22 वर्ष
3. प्यारी कंवर पुत्री रामसिंह पत्नी शेरसिंह उम्र 35 वर्ष जातियान राजपूत (राणा राजपूत) निवासीयान सुरा जागीर, तहसील बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.रामसिंह पुत्र दुर्जनसिंह उम्र62वर्ष
2.जगमालसिंह पुत्र रामसिंह उम्र 30
3.अशोकसिंह पुत्र रामसिंह उम्र 28
4.पुष्पाकंवर पुत्री रामसिंह उम्र 26
5.हऊआ कंवर पुत्र रामसिंह उम्र 24 वर्ष जातियान राणा राजपूत निवासीयान सुरा जागीर तहसील व जिला बाड़मेर।
6.तहसीलदार साहब, बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 125/2013 बअनवान पुरखसिंह वगै. बनाम रामसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016।

उपस्थित

1. अधिवक्ता श्री सुनिल के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 18.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्तागण/वादी विवादित आराजी मौजा सुरा जागीर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 396/63 रकबा 33.14 बीघा एवं खसरा संख्या 398/48 रकबा 07.11 बीघा भूमि पर उक्त सेटलमेंट अपने दादा दुर्जनसिंह की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होना बताते हुए अपने 1/8 हिस्से की घोषणा करने का वाद पेश किया है एवं विधि अनुसार कृषि भूमि से सम्बन्धित हक एवं खातेदारी अधिकारों का वाद राजस्व न्यायालय में पेश होता हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.06.2016 को उक्त वाद वास्ते आदेश 01 नियम 10 सी पी सी के जवाब हेतु नियत था एवं अपीलांट एवं उतरदाता की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई वाद के स्टेज को परिवर्तन कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा एवं मनमाना निर्णय पारित किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प सुरा में रखने की सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। उक्त प्रकरण का निस्तारण करने से पूर्व वादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला। अपीलांटगण/वादी ने अपना वाद 1/8 हिस्से की घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया था जो कि राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रमाणित है किसी भी खातेदारी भूमि में घोषणा राजस्व न्यायालय ही कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत के उद्देश्य को दरकिनार करते हुए मनमर्जी व विधि विरूद्ध एकतरफा निर्णय पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया रेस्पोडेंट बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.06.2016 को उक्त वाद वास्ते आदेश 01 नियम 10 सी पी सी के जबाव हेतु नियत था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद की पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट सुरा में रखी गई, जिस बाबत अपीलांट/वादीगण को किसी प्रकार की कोई सूचना/नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण में वाद की प्रक्रिया को अपनाये बिना यथा तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर व मौके की मौका रिपोर्ट तलब करने के बाद ही वाद को गुणावगुण पर निस्तारित करना था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट का वाद प्रमाणित नहीं होने से दिनांक 13.06.2016 केम्प कोर्ट में क्षैत्राधिकार के बिंदु पर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय सुरा में सुनवाई हेतु रखे इस प्रकरण बाबत अलग से अपीलांट को न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया अपीलांट एवं अपीलांट अधिवक्ता की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो काबिल निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज फरमाया जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को उसका वाद लोक अदालत केम्प कोर्ट खारिज करने की पूर्व में जानकारी नहीं थी तथा दिनांक 10.02.2017 को जब पटवारी के पास अपने खेत की नकल लेने गया तब पता चला कि उनके खेत में स्टे हट गया है एवं गौतमचंद के नाम नामांतकरण दर्ज किया हैं जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से दिनांक 08.02.2017 को नकल मांगी गई जो दिनांक 16.02.2017 को प्राप्त होने पर उक्त निर्णय की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई। वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर एकतरफा बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वकील अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में की गई देरी सद्भाविक है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। जिससे अपीलांट को निर्णय की जानकारी समय पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न हो सकी। अतः वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित समझते है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हस्तगत प्रकरण की पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय सुरा में सुनवाई हेतु रखी। इस बावत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के संबंध में विक्रय-विलेख प्रभावी होने से क्षेत्राधिकार के बिंदु पर ही नियमित वाद खारिज कर दिया। अपीलांटगण/वादी को अपने वाद का अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/वादीगण को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 125/2013 बअनवान पुरखसिंह वगै. बनाम रामसिंह वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.06.2016 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण/वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर वाद समुचित सुनवाई निर्णय पारित करे।

18/2/20

(नाथूसिंह राजपुरोहित)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/2/20

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner